

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 कंपनी का प्रोफाइल

एनएमडीसी लिमिटेड देश में खनिज संसाधन की खोज करने के मुख्य उद्देश्य के साथ नवम्बर 1958 में निगमित की गई थी और दो मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) लौह-अयस्क की उत्पादन क्षमता के साथ अपना परिचालन आरंभ किया, जो 31 मार्च 2017 तक 44 एमटीपीए की क्षमता तक बढ़ चुका है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय हैदराबाद में स्थित है। कंपनी को 2008 में नवरत्न का दर्जा दिया गया और 1989-90 से सदैव लाभ में रही है। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹9,738.45 करोड़ की आय पर इसने ₹4,293.68 करोड़ का लाभ (कर पूर्व) अर्जित किया। कंपनी का मुख्य कार्यकलाप लौह-अयस्क का उत्पादन और बिक्री है जो कि 2016-17 के टर्नओवर का 98.63 प्रतिशत (₹8,708.90 करोड़) रहा तथा शेष 1.37 प्रतिशत (₹120.74 करोड़) हीरा, उर्जा, पैलेट्स और सेवाओं की बिक्री के माध्यम से अर्जित किया गया।

एनएमडीसी मुख्यतः घरेलू मांग को पूरा करती है और छत्तीसगढ़ राज्य में दंतेवाड़ा जिले के बैलाडिला सेक्टर में किरनदुल (3 खदान) तथा बचेली (2 खदान) में तथा कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में डोनीमलाई (2 खदान) के माध्यम से उच्च गुणवत्ता के लौह-अयस्क का उत्पादन करता है। किरनदुल, बचेली तथा डोनीमलाई में स्थित खदानों की अधिकतम अनुमत क्षमता क्रमशः 19 एमटीपीए, 13 एमटीपीए, तथा 12 एमटीपीए है।

केलेंडर वर्ष 2016 के दौरान विश्व का लौह-अयस्क उत्पादन 2,230 मिलियन टन (एमटी) रहा जिसमें से भारत का उत्पादन 160 एमटी था, जो कि इसका 7 प्रतिशत है और एनएमडीसी का हिस्सा 34 एमटी रहा जो भारत के कुल उत्पादन का 21 प्रतिशत है। देश में कुल प्रमाणित 33,276 एमटी (22,487 एमटी हैमेटाइट तथा 10,789 एमटी मेग्नेटाइट) के लौह-अयस्क भंडार में से 31 मार्च 2017 तक कंपनी के पास 2407.76 एमटी का प्रमाणित लौह-अयस्क भंडार था।

लौह-अयस्क उत्पादन के अतिरिक्त, कंपनी ने कई व्यावसायिक विविधिकरण पहल जैसे कि नगरनार, छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र की स्थापना; पन्ना, मध्य प्रदेश में हीरा खनन; नगरनार में कैप्टिव उर्जा संयंत्र स्थापित करना; पलौंचा, तेलंगाणा में स्पॉन्ज आयरन यूनिट का अधिग्रहण; डोनीमलाई, कर्नाटक में पैलेट संयंत्र की स्थापना आदि की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने इस्पात संयंत्र के संस्थापन एवं कोयला और लौह-अयस्क खदानों के विकास के लिए केंद्र/राज्य सरकार उपक्रमों तथा भारत और विदेश में निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों में महत्वपूर्ण निवेश किया है। देश में कंपनी की परियोजनाओं का भौगोलिक फैलाव **अनुलग्नक-1** में दर्शाया गया है:

1.2 संगठनात्मक सेट-अप

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) कंपनी के अध्यक्ष हैं, जिनकी सहायता पांच क्रियात्मक निदेशक उत्पादन, तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्त और कार्मिक डिवीजन द्वारा की जाती है। कंपनी के बोर्ड में दो भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और छह स्वायत्त निदेशक थे (मार्च 2017)। खदानों के अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक/महाप्रबंधक हैं जो निदेशक (उत्पादन)/निदेशक (वाणिज्यिक) को दिन प्रतिदिन परिचालन की रिपोर्ट देते हैं।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- (i) कंपनी ने उत्पादन, उत्पादन क्षमता की वृद्धि, निकासी सुविधाओं में सुधार और लौह-अयस्क तथा अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए अपने लक्ष्य प्राप्त किये;
- (ii) कंपनी ने विविधिकरण पहल जैसे एकीकृत इस्पात संयंत्र, उर्जा संयंत्र, पैलेट संयंत्र, हीरा खनन और स्पॉन्ज आयरन उत्पादन के लिए अपने लक्ष्य प्राप्त किये;
- (iii) कंपनी ने लौह-अयस्क खदानों के साथ-साथ अन्य खनिज जैसे कोयला आदि के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यमों में अपने निवेश से आशातीत लाभ अर्जित किये; और
- (iv) कंपनी के पास उसके परिचालनों के आकार के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण तंत्र था और क्या ये नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालित किए गए।

1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में (i) लौह-अयस्क और अन्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन, (ii) उत्पादन क्षमता, निकासी क्षमता के विस्तारण और देश और विदेश में खनिज भंडारों के अधिग्रहण के लिए आरंभ की गई परियोजनाओं के प्रति हुई प्रगति, (iii) कंपनी की विविधिकरण के अंतर्गत परिकल्पित एकीकृत इस्पात संयंत्र, पैलेट संयंत्र और उर्जा संयंत्र संस्थापन और नीतिगत निवेश योजना में की गई प्रगति, तथा (iv) आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता, को शामिल किया गया।

2005-06 से 2011-12 तक की अवधि को शामिल करके 'एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा लौह-अयस्क का उत्पादन और बिक्री' पर निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई तथा 20 दिसंबर 2012 को संसद में सीएजी का प्रतिवेदन (2012-13 की सं. 20) प्रस्तुत किया गया। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2016-17 तक कंपनी के कार्यकलाप शामिल किये गए हैं। पिछले वर्षों में जो मामले ध्यान में आये, लेकिन पिछली रिपोर्ट में जिन्हें शामिल न किया जा सका तथा वर्ष 2016-17 के अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी जहां आवश्यक समझे गये शामिल किये गये हैं।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

कंपनी का प्रदर्शन निम्नलिखित मानदंडों के प्रति आंकलित किया गया:

1. यथा अनुमोदित विस्तारण/विविधिकरण परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत और समय सीमा;
2. इस्पात मंत्रालय (एमओएस) के साथ प्रतिवर्ष हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) में और कंपनी की कॉरपोरेट योजना में निर्धारित लक्ष्य;
3. कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों में लिए गये निर्णय;
4. निविदाकरण और खरीदी के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश;
5. कंपनी द्वारा निर्धारित मैनुअल/नीतियों के प्रावधान;
6. समय समय पर यथा संशोधित खदान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957, तथा खनिज रियायत नियमावली, 1960 के प्रावधान;

7. भारतीय खान ब्यूरो तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की रिपोर्ट में एनएमडीसी के खनन कार्यकलापों पर की गई आपत्तियां; तथा
8. पर्यावरण/वन मंजूरी के लिए पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा जारी दिशानिर्देश।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यविधि

कंपनी के साथ लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, कार्यविधि, तथा मानदंडों पर विचार-विमर्श करने हेतु 13 जून 2017 को एक एंटी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। लेखापरीक्षा दलों ने जून 2017 से जनवरी 2018 के दौरान फील्ड लेखापरीक्षा संचालित की और उत्पादन इकाइयों (अर्थात् खदानों) तथा कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक राज्य के वन और राजस्व विभागों के रिकॉर्ड की जांच की।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने लौह अयस्क और अन्य उत्पादों के उत्पादन, एचइएमएम व पूंजीगत उपस्कर से संबंधित खरीद फाईलें, लौह अयस्क बिक्री के दीर्घावधि अनुबंध, एनआईएसपी स्टील संयंत्र व पैलेट संयंत्र के आयोजन व निष्पादन के लिए प्रदान किये गए ठेकों, व जेवी समझौतों से संबंधित रिकॉर्ड की समीक्षा की।

22 फरवरी 2018 को तथ्यों और आंकड़ों तथा उनके उत्तर की पुष्टिकरण के लिए कंपनी को मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई। 8 मार्च 2018 को कंपनी के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कंपनी का उत्तर (3 अप्रैल 2018 को प्राप्त) तथा एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिव्यक्त विचार मसौदा रिपोर्ट में समुचित रूप से शामिल कर लिए गए और उसको 23 अप्रैल 2018 को इस्पात मंत्रालय को जारी कर दिया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार विमर्श करने हेतु 8 जून 2018 को मंत्रालय के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मंत्रालय का उत्तर (23 जुलाई 2018) तथा एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिव्यक्त विचार इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय समुचित रूप से शामिल किए गए।

1.7 रिपोर्ट का स्वरूप

इस रिपोर्ट में लौह अयस्क के उत्पादन, निकासी और बिक्री, विविधिकरण कार्यकलापों, संयुक्त उद्यमों में नीतिगत निवेश, आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तथा निष्कर्ष और सिफारिशों पर अध्याय शामिल हैं। इस रिपोर्ट में अनुलग्नक I से VIII और संक्षिप्त की सूची भी शामिल है।

1.8 आभार

लेखापरीक्षा एनएमडीसी लिमिटेड के प्रबंधन, इस्पात मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों के वन और राजस्व विभागों द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रदत्त सहयोग और सहायता की प्रशंसा और आभार व्यक्त करती है।